आजादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :प.17(1)नविवि/अभियान/2021/ जयपुर दिनांक: 13 APR 2023

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.04.2023 को अतिक्रमित करते हुए विभागीय आदेश दिनांक 20.02.23 के बिन्दु संख्या 2.1, 2.3 एवं 5(ii,iii,iv) को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाता है:–

1. **बिन्दु संख्या 2.1– मास्टर प्लान/जोनल प्लान के मिश्रित भू–उपयोग के अनुज्ञेय गतिविधियां:–**
   (i) मिश्रित भू–उपयोग, भवन विनियम 2020 के विनियम 21(6)(i) के अनुसार सडक चौडाई का डेढ गुना या एकल गहराई तक अनुज्ञेय होगा।
   (ii) बिन्दु संख्या 2.1 के नोट को विलोपित किया जाता है।
2. **बिन्दु संख्या 2.3– पट्टाशुदा भूखण्ड का मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप भू–उपयोग परिवर्तन करना:–**
   (i) आवासन मंडल द्वारा निकायों को हस्तान्तरित की गई योजनाऐं निकाय की योजनाऐं मानी जायेगी। ऐसी हस्तान्तरित योजनाओं के भूखण्ड पर भी भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देय होगी। हस्तान्तरित योजनाओं के जिन प्रकरणों में सक्षम समिति द्वारा पूर्व में निर्णय लिया जा चुका है अथवा आंशिक/पूर्ण राशि जमा हो चुकी है उनमें भू–उपयोग परिवर्तन आदेश जारी कर परिवर्तित भू–उपयोग के अनुसार ही पट्टे दिये जावे।
   (ii) पट्टे शुदा निकाय की योजना के भूखण्ड व आबादी के भूखण्ड, सभी में भू–उपयोग परिवर्तन नियम 2010 के नियम 2(vii)(ख)(iv) एवं 6(1) की तालिका के क्रम संख्या 2(ii) में उल्लेखित सक्षमता के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन किया जा सकेगा परन्तु आवासन मंडल की योजनाऐं जो निकाय को हस्तान्तरित नहीं हैं उनमें भू–उपयोग परिवर्तन राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा ही किया जावेगा।
   (iii) पट्टाशुदा निकायों की योजनाओं के भूखण्डों का प्रस्तावित भू–उपयोग मास्टर प्लान/जोनल प्लान में मिश्रित भू–उपयोग दर्शित/प्रस्तावित होने पर ही मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप माना जायेगा, मास्टर प्लान/जोनल प्लान में मिश्रित भू–उपयोग दर्शित/प्रस्तावित नहीं होने पर अनुज्ञेय नहीं माना जायेगा। केवल डी.सी.आर के आधार पर पट्टेशुदा निकाय के भूखण्ड व आबादी के भूखण्ड, सभी में भू–उपयोग मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप नहीं माना जायेगा।
3. **बिन्दु संख्या 5– ग्रुप हाउसिंग/फ्लेट भूखण्ड का उपविभाजन:–**
   5(ii)– मूल एकल भूखण्ड के उपविभाजन पर 2 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र केवल फ्लेट्स भूखण्डों के क्षेत्रफल पर ही छोडा जाना होगा, ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड में सुविधा क्षेत्र भवन विनियम के अनुसार भूखण्ड के अंदर रखा जाना आवश्यक होगा।
   5(iii)– प्रत्येक उपविभाजित ग्रुप हाउसिंग/फ्लेट्स भूखण्ड का पहुंच मार्ग न्यूनतम 18 मीटर रखा जाना आवश्यक होगा।
   5(iv)–विभागीय अधिसूचना दिनांक 29.10.21 के अनुसार उपविभाजन शुल्क अभियान अवधि में देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन सचिव

(कुंजी लालमीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
11. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
12. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
13. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
14. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
15. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
16. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम